

**फर्द अहकाम**  
**उभूदपालखनाम रूडी जोग**

अधिकारी एवं उपखण्ड नजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोडा)

1922/2022 ज.प्र.न.३

दिनांक आका या कार्यवाही	आका विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
05 <sup>3</sup> / <sub>26</sub>	<p>बहुलाये करीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 12.3.26 को भेजा गया</p> <p align="center">B</p>	
12.3.26	<p>बहुलाये करीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 13.3.26 को भेजा गया</p> <p align="center">B</p>	
13/03/26	<p>पत्रा. प्रेषण गरिणी वहीक न. प्र. न. 1 के परिणत रूपों को डोंकराते हुए भिकेकरीया कि ल. प्र. प्र. मूलकाडु अभाकीणिण को पाकडु ठिया जाके कि प्राकीणिण के ठकके वाधु के ठिकी प्रकार जे काश्मा उत्पन्न न करे. उकीरिण के अंगेत्पिकेन उपमेगा उपमेगा एवं राशत वीते डेरे। कडव पर सनक ठिया गया। पत्रावली का अकलोकन ठिया गया। ज.प्र. के विदु न. 2 के परिणत न. प्र. न. 1 को खालेकारी 'मंठिकी रलकोला किराजमान रलकोला टि. प्र. न. सा. डिट. एलेफी नाम डेरे है। इन प्रकार पर सखा टिकि मंठिक के नाम खालेकारी डेरे है जिडका कुखिया लैण्ड डीलर लखे चला हो। प्राकीणिण केवल का ठेके लेक-डेन मालालुवु वाल्लान डी डी ना डी मामला एवम पूलया अकीणिण के परा ठे है, ना डी ठेके अकीणिण के का अडेको डेकोर ना डी सुविधा का सन्वयन प्राकीणिण के परा ठे है। अतः ज.प्र. न. 1. डी लर पर खाले ठिया जाता है। पत्रा. केवल डुमा ठेके डेरे न. प्र. न. के कम हो काडु डाखिल डफला हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोडा)